यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु.135/2025

1 धन्ना नाथ सिद्ध पुत्र भारूराम जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू राज. आधार नम्बर 4686 7103 9104

वादी

वनाम

1 प्रमेश्वरी पुत्री रामेश्वरनाथ जाति सिद्ध निवासी ऊन्टालड तह. बीदासर जिला चूरू राज.

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 प्रतिवादी स. 2 – पैरोकार राज.

दिनांक :–21/10/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम ऊन्टालड में खेत खसरा नम्बर 383 रकबा 1.8843 हैक्टेयर (07–09 बीघा) वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 के पिता रामेष्वरनाथ के नाम खातेदारी की राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वादगत खसरा भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में मुझ वादी का नाम धनराज पुत्र आदुनाथ दर्ज है जबकी मुझ वादी का मेरे समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र में नाम धन्ना नाथ पुत्र भारू नाथ दर्ज है, प्रतिवादी सख्या 02 के पिता रामेष्वरनाथ का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी सख्या 02 द्वारा अपने हक हिस्सा का परित्याग जरिये पंजीकृत हक तर्क दिनांक 31.12.2015 के द्वारा वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी द्वारा उक्त परित्याग लेख पत्र की छाया प्रति हक परित्याग पंजीकृत करवाने के बाद पटवारी हल्का को दी गई थी लेकिन तत्समय के पटवारी हल्का द्वारा हकतर्कित हिस्सा का नामान्तरकरण वादी के नाम दर्ज नहीं करने के कारण वादगत भूमि के 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सख्या 2 के पिता रामेष्वरनाथ के नाम बदस्तूर दर्ज चली आ रही है। वादगत खसरा भूमि में प्रतिवादी सख्या 01 द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की खातेदारी बहैषियत वारिसा वादी के नाम पंजीकृत हक तर्क द्वारा परित्याग करने एवं कब्जा वादी को सम्भलाने के कारण वादी सम्पूर्ण खसरा भूमि का रेकॉर्डेड काबिज काष्तकार है। वादी ने वादगत खेत की खातेदारी में प्रतिवादी सख्या 02 के हिस्सा का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने का निवदेन किया तो राजस्व कर्मचारीयों द्वारा वादी के नाम में भिन्नता के कारण खातेदारी दर्ज करने से इन्कार कर दिया, वादी ने प्रतिवादीगण से वादगत खेत में 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में नाम षुद्ध करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये यही वाद हैतुक है, वादी ने दिनांक 01.09.2025 को प्रतिवादीगण से वादगत खेत में 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में नाम षुद्ध करने का निवेदन किया तो

लगातार........2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये और वादी को ऐलानिया धमकी दी की वादगत खेत की खातेदारी में उसके पिता का नाम दर्ज है वह विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा कर खातेदारी हिस्सा भूमि भूमाफिया लोगों को विक्रय कर दी इस कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी उपरोक्त विवादित खेत खसरा में गलत दर्ज चली आ रही हिस्सा भूमि का विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा कर भूमाफिया लोगों को विक्रय हस्तान्तरण कर वादी को जबरन बेदखल करने की कुचेष्टा में है जिसके लिए प्रतिवादी ने वादी को दिनांक 01–09–2025 को ऐलानिया धमकी दी है कि हकतर्कित खेत हिस्सा से बेदखल करेगी इस कारण वादी को वाद हेतुक प्राप्त है दावा अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हो चला है जो धारा 80(2) के नोटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है वादी वादगत भूमि में पंजीकृत हक तर्क के आधार पर तथा 1/2 हिस्सा का स्वयं रेकॉर्डेड खातेदार होने के कारण एवं सम्पूर्ण खसरा भूमि का कब्जेधारी काश्तकार है इस कारण वादी को वादाधार प्राप्त है प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर भू–धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित है वादगत भूमि रोही ऊन्टालड तहसील बीदासर में स्थित हैं जिसके कारण उपरोक्त खसरा के सम्बन्ध में तमाम प्रकार के विवाद सुनने का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है दावा रेकार्ड दुरूस्ति, घोशणात्मक, विभाजन एवं चिर चिर निशेधाज्ञा प्राप्ती है जो 10/– रूपये के न्याय पुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे रोही ग्राम ऊन्टालड के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 383 रकबा 1.8843 में प्रतिवादी सख्या 01 एक के पिता के नाम दर्ज चली आ रही 1/2 हिस्सा की खातेदारी पंजीकृत हक तर्क के आधार पर वादी के नाम दर्ज की जाये तथा वादी का राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज नाम धनराज पुत्र आदुनाथ के स्थान पर शुद्ध नाम धन्ना नाथ सिद्ध पुत्र भारूनाथ सिद्ध शुद्ध दर्ज किया जाये, प्रतिवादीगण जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि विवादित खसरा में वादी के नाम दर्ज एवं परित्याग की गई भूमि में वादी को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, प्रतिवादी 1 उपरोक्त विवादित खेत को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर असर पड़े। खर्चा मुकदमां दिलवाया जावें, अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो हितकर वादी हो फरमाने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या एक की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रकरण में प्रतिवादी स. 02 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद में किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य वादी में वादी धन्ना नाथ ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये। वादी साक्ष्य और प्रस्तुत नहीं करना चाहने के कारण साक्ष्य वादी बन्द की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेशित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त वाद में प्रतिववादी सख्या 02 तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि रोही ग्राम ग्राम ऊन्टालड में खेत खसरा नम्बर 383 रकबा 1.8843 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सख्या 1 के पिता रामेश्वरनाथ का नाम हटाया जाकर उनके नाम दर्ज हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा वादी का नाम धनराज पुत्र आदुनाथ के स्थान पर धन्ना नाथ पुत्र भारू नाथ शुद्ध दर्ज किया जावे। आदेश की पालनार्थ अलग से तहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनाक 21 –10 –2025 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू